

**प्रार्थीगण**

- 1- भंवरुराम पुत्र सगराम
  - 2- बक्षाराम पुत्र सगराम
  - 3- रामचन्द्र पुत्र सगराम
  - 4- सुखदेव पुत्र सगराम
- जातियान जाट निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी

**बनाम**

**अप्रार्थीगण:-**

- 1- बलराम पुत्र मांगीलाल
  - 2- दुर्गाराम पुत्र हरीराम
  - 3- अर्जुनराम पुत्र हरीराम
- जाति जाट निवासीगण जसनगर तहसील रियांबड़ी
- 4- तहसीलदार रियांबड़ी
  - 5- पटवारी हलका जसनगर

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट 1955

**निर्णय**

दिनांक :- 08.06.2018



प्रार्थीगण निम्नलिखित प्रार्थना पत्र पेश करते हैं :-

1- यह है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ग्राम जसनगर के निवासी है प्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1718 रकबा 0.25 हैक्टर व खसरा नंबर 1720 रकबा 0.05 हैक्टर कुल रकबा 0.30 हैक्टर वाके मौजा जसनगर में आया हुआ है। अप्रार्थीगण के खातेदारी के खेत खसरा नंबर 1721 रकबा 0.05 हैक्टर व 1772 रकबा 0.03 गेर मुमकिन बेरा वाके मौजा जसनगर में आये हुए है। प्रार्थीगण के खसरा नंबर 1718 में जाने के लिए खसरा नंबर 1721 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा नंबर 1718 में जाया जाता है। उक्त खसरा नंबर 1718 में जाने के लिए खसरा नंबर खसरा नंबर 1721 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे होकर खसरा नंबर 1718 में जाया जाता है। इसके अलावा कोई अन्य प्रार्थीगण के पास कोई रास्ता नहीं है। अपने खेत खसरा नंबर 1718 में आने जाने में भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रार्थीगण अप्रार्थीगण के खेत खसरा नंबर 1721 की दक्षिणी माठ से होकर रास्ता आने जाने के लिए मांग हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

2- यह है कि उक्त रास्ता में जाने के लिए इसके अलावा अन्य कोई कटाणी रास्ता मौजूद नहीं है। एक मात्र रास्ता प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का है। जो मुख्य सड़क मार्ग जसनगर से भंवाल जाने वाली पर स्थित है।

3- प्रार्थीगण को अपने काश्त कार्य व कृषि संसाधन लाने व ले जाने के लिए यही रास्ता है जिसको अप्रार्थीगणो ने बंद कर दिया है। जिससे उक्त रास्ता हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

4- यह है कि प्रार्थीगण उक्त खेत खसरा नंबर 1721 की दक्षिणी माठ के सहारे सहारे खसरा नंबर 1718 में जाने के लिए 20 फुट चौड़ा रास्ता की भूमि का राज्य दर के अनुसार कीमत

प्रार्थीगण चुकाने को तैयार है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जबाब हेतु तलब किया गया। तथा अप्रार्थी संख्या 4 से रास्ता के संबंध में रिपोर्ट चाही गई।

अप्रार्थीगणों के नोटिस बाद तामिल के प्राप्त। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील राजेन्द्र गौड़ ने वकालतनामा पेश किया गया। तथा रामलाल व शंकरलाल पिसरान भागुराम जाति जाट निवासी जसनगर की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 के अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जसनगर में पेश हुई। अप्रार्थी संख्या 4,5 ने अपनी रिपोर्ट पेश की गई। अपनी रिपोर्ट में बताया कि ग्राम जसनगर के खसरा नंबर 1718 के खातेदार भंवरुराम, बक्साराम, रामचन्द्र, सुखदेव पिसरान सगराम जाट सा. जसनगर के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थीगण बलराम पुत्र मांगीलाल दुर्गाराम, अर्जुनराम पिसरान हरीराम कोम जाट सा. जसनगर के खेत खसरा नंबर 1721 रकबा 0.05 हैक्टर में से दक्षिणी माठ के सहारे सहारे 24 मीटर लंबा एवं 6 मीटर चौड़ा रास्ता देने में कुल रकबा 24 6 144 वर्गमीटर अर्थात् 0.0144 हैक्टर रकबा प्रभावित होता है। खसरा नंबर 1721 में दुर्गाराम अर्जुनराम पि. हरीराम का हिस्सा राज. मरूधरा ग्र. बैंक जसनगर के रहन दर्ज है। खसरा नंबर 1722 के दक्षिणी माठ के 12 फुट चौड़ा रास्ता मौजूद है।

वकील अप्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4,5 को सुना गया। संलग्न राजस्व रेकार्ड व अप्रार्थी संख्या 4,5 द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा का अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि प्रार्थीगण के अपने खेत खसरा नंबर 1718 में आने जाने के लिए खसरा नंबर 1722 की दक्षिणी माठ पर रास्ता वैकल्पिक मौजूद है और आनेजाने के लिए काम आ रहा है। जो नजरी नक्शा के अवलोकन से नजदीक भी है। सड़क मार्ग से भी अटैच है। फिर खसरा नंबर 1721 में से रास्ता चाहे जाने का क्या औचित्य है। जो दूरी में ज्यादा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251-ए के प्रावधानों के अनुसार वैकल्पिक रास्ता मौजूद होते हुए दूसरा रास्ता दिया जाना विधि विरुद्ध है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 251-ए आर.टी.एक्ट का खारीज किया जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।



( गौरीशंकर शर्मा )  
उपस्थित अधिकारी  
रियां सिंधी (जी.गोर)  
राजस्व लोक अदालत  
कैम्प जसनगर

निर्णय दिनांक 08.06.2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प जसनगर में सुनाया गया।

( गौरीशंकर शर्मा )  
उपस्थित अधिकारी  
रियां सिंधी (जी.गोर)  
राजस्व लोक अदालत  
राजस्व लोक अदालत  
कैम्प जसनगर